

## न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी - पंकज बडगुजर (R.A.S.)

दावा संख्या  
138/2020

रजू दिनांक  
21.10.2020

निर्णय दिनांक  
11.12.2021

उपनाम

1 कमल नयन पुत्र हरिसिंह जाति ब्राह्मण निवासी जोगावाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

-: वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

-: प्रतिवादी


दावा:- इस्तरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज  
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि०

-----  
-: निर्णय :-

दिनांक :- .....

1. वादी का सारतः वाद पत्र रहा कि :-

यह है कि आराजी हाल खं०नं० 329 रकबा 0.18 है० व खं०नं० 330 रकबा 0.18 है० का 1/12 भाग व खं० नं० 320 रकबा 0.56 है० का 1/6 भाग वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर व खं० नं० 199 रकबा 0.24 है०, खं० नं० 200 रकबा 0.24 है०, खं० नं० 201 रकबा 0.24 है०, खं० नं० 202 रकबा 0.24 है० का 1/24 भाग व खं०नं० 428 रकबा 0.58 है० का 1/12 भाग, खं० नं० 444 रकबा 0.56 है० का 1/6 भाग व खं०नं० 417 रकबा 1.15 है० का 1/6 भाग, खं०नं० 178 रकबा 0.13 है०, खं०नं० 179 रकबा 0.13 है०, खं०नं० 198 रकबा 0.48 है०, खं०नं० 253 रकबा 0.28 है०, खं०नं० 297 रकबा 0.37 है० का 1/6 भाग, खं०नं० 218 रकबा 0.52 है० का 1/42 भाग वाके ग्राम जोगावाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जो इस दावा में विवादित आराजी है। उपरोक्त आराजी मिन वादी के कब्जे कास्त एवं खातेदारी की आराजी रही है। मिन वादी अपने हिस्से की आराजी पर कब्जे कास्त है। आराजी बाबत अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नहीं है। इसलिए सहखातेदारान को दावे में पक्षकारान नहीं बनाया गया। तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा वाके ग्राम भानोत के राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी का नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून कमलनयन पुत्र हरिसिंह के स्थान पर लीलाराम पुत्र हरिसिंह दर्ज कर दिया। इसलिए उक्त गलत अंकन लीलाराम पुत्र हरिसिंह का हजफ कर उसके स्थान पर कमलनयन पुत्र हरिसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावे व इसी प्रकार से मिन वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाकर राजस्व रिकोर्ड दुरुस्त फरमाया जावें। दावा दिनांक 21.10.2020 को दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी की सम्यक तामील हुई।

  
सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राजस्थान

सरकार पैरोकार की ओर से पटवारी हल्का भानोत ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम कमलनयन पुत्र हरिसिंह जाति ब्राह्मण किया जाना उचित बताया है।

वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में विवादित हाल राजस्व रिकॉर्ड के जमाबन्दी संवत 2071-74, जमाबन्दी संवत 2070-73, बैंक पास बुक की छायाप्रति, चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, एक्स सर्विसमैन का पहचान पत्र आदि दस्तावेज पेश किये। जो शामिल मिसल किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वकीलवादी पर मनन किये जाने पर पाया गया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दूरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

:- आदेश :-

अतः आराजी हाल खं० नं० 329 रकबा 0.18 है० व खं० नं० 330 रकबा 0.18 है० का 1/12 भाग व ख० नं० 320 रकबा 0.56 है० का 1/6 भाग वाके ग्राम भानोत तह० मुण्डावर व ख० नं० 199 रकबा 0.24 है०, खं० नं० 200 रकबा 0.24 है०, खं० नं० 201 रकबा 0.24 है०, खं० नं० 202 रकबा 0.24 है० का 1/24 भाग व खं० नं० 428 रकबा 0.58 है० का 1/12 भाग, खं० नं० 444 रकबा 0.56 है० का 1/6 भाग व खं० नं० 417 रकबा 1.15 है० का 1/6 भाग, खं० नं० 178 रकबा 0.13 है०, खं० नं० 179 रकबा 0.13 है०, खं० नं० 198 रकबा 0.48 है०, खं० नं० 253 रकबा 0.28 है०, खं० नं० 297 रकबा 0.37 है० का 1/6 भाग, खं० नं० 218 रकबा 0.52 है० का 1/42 भाग वाके ग्राम जोगावाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम लीलाराम पुत्र हरिसिंह व लीलाराम उर्फ कमलनयन पुत्र हरिसिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर कमलनयन पुत्र हरिसिंह दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(पंकज बडगुजर)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

## न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी - पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या  
138/2020

रजू दिनांक  
21.10.2020  
उनवान

निर्णय दिनांक  
11.12.2021

1. कमल नयन पुत्र हरिसिंह जाति ब्राह्मण निवासी जोगावाडा तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०

—: वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

—: प्रतिवादी

दावा:- इस्तरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज  
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि०

—: पर्चा डिक्री :-

दिनांक :- 11.12.2021

वादी की ओर से एडवोकेट श्री अरूण पण्डित व पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.12.2021 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः आराजी हाल खं०नं० 329 रकबा 0.18 है० व खं०नं० 330 रकबा 0.18 है० का 1/12 भाग व ख० न० 320 रकबा 0.56 है० का 1/6 भाग वाके ग्राम भानोत तह० मुण्डावर व ख० न० 199 रकबा 0.24 है०, खं० नं० 200 रकबा 0.24 है०, खं० नं० 201 रकबा 0.24 है०, खं० नं० 202 रकबा 0.24 है० का 1/24 भाग व खं०नं० 428 रकबा 0.58 है० का 1/12 भाग, खं० नं० 444 रकबा 0.56 है० का 1/6 भाग व खं०नं० 417 रकबा 1.15 है० का 1/6 भाग, खं०नं० 178 रकबा 0.13 है०, खं०नं० 179 रकबा 0.13 है०, खं०नं० 198 रकबा 0.48 है०, खं०नं० 253 रकबा 0.28 है०, खं०नं० 297 रकबा 0.37 है० का 1/6 भाग, खं०नं० 218 रकबा 0.52 है० का 1/42 भाग वाके ग्राम जोगावाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम लीलाराम पुत्र हरिसिंह व लीलाराम उर्फ कमलनयन पुत्र हरिसिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर कमलनयन पुत्र हरिसिंह दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज बडगूजर)  
उपखण्ड अधिकारी एवं कलक्टर  
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर) राज०